देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इंदौर – 452 001

क्रमांक –प्रशा./प्रवेश /2011/1260 दिनांक : 8 JUL 2011

प्रति,
प्राचार्य/प्राचार्या
विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालय,
इंदौर धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगोन/बड़वानी/बुरहानपुर
(चिकित्सा, आयुर्वेद, होमोपैथी, अभियांत्रिकी, दंत चिकित्सा, यूनानी महाविद्यालय को छोड़कर)

विषय :– शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में वर्ष 2011–2012 प्रवेश हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सूचनार्थ है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, द्वारा वेबसाईट पर प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत सेमेस्टर पद्धति हेतु जारी किए हैं । कृपया वेबसाईट mp. Gov.higher education पर दिनांक 06–6–2011 का अवलोकन कर तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें । प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत की कंडिका 15.6 के अंतर्गत :–

15.6 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल से प्राप्त करेंगे । प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाय ।

कुलपति के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक –प्रशा./प्रवेश /2011/1260 दिनांक : 8 JUL 2011

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अधिकारीगण/कुलपति के सचिव
2. कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।
3. विभागाध्यक्ष आई.टी. सेंटर, तक्षशिला परिसर इन्दौर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें । इस विषय में उच्चशिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 24–6–2011 की छायाप्रति संलग्न है । कृपया इसे भी अपलोड किया जाय ।

28/6/11

उप कुलसचिव(प्रशा.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 500/215/आउशि/अकाप्र/2011 भोपाल, दिनांक 24/6/2011

प्रति,

(1) समस्त अतिरिक्त संचालक
क्षेत्रीय कार्यालय,उच्च शिक्षा,
मध्य प्रदेश

(2) समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्य प्रदेश

विषयः--प्रवेश प्रकिया नियम 2011-12 में संशोधन के संबंध में ।

उपरोक्त विषर्यान्तगत के संबंध में उल्लेख है कि प्रवेश प्रकिया नियम 2011-12 की कंडिका 9.3 (ग) में उल्लेखित " स्नातकोत्तर एवं योग पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं होगा" के स्थान पर "**स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना 1 जुलाई की स्थिति में की जाएगी** " पढ़ा जाए।

आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमोदित

(डॉ0 के0एम0जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / 751 / सी.सी. / अडतीस / 11

प्रति,

भोपाल, दिनांक 8.7.2011

कुलपति
समस्त विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषयः—प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि में वृद्धि करने विषयक।

—0—

महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा, विभागीय प्रस्ताव पर, प्रदेश के महाविद्यालयों में संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2011—12 में प्रवेश हेतु अकादमिक कैलेण्डर अनुसार निर्धारित की गई अंतिम तिथि 30.06.2011 में दिनांक 20.07.2011 तक वृद्धि की गई है।

यह अनुमति विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा अनुसमर्थन किए जाने की प्रत्याशा में प्रदान की गई है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(सी.बी. पडवार)
उपसचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रमांक / 752 / सी.सी. / अडतीस / 11

प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक 8.7.2011

1— सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, राजभवन भोपाल।
2— कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3— आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4— प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर वेबसाइड पर प्रकाशित करने हेतु।

उपसचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल